

**समाहरणालय मधेपुरा**  
**(कार्मिक प्रबंधन कोषांग)**

--:आदेश :-

पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 1406 दिनांक 25.02.16 द्वारा मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा में पंचायत आम निर्वाचन 2016 दशम् चरण में दिनांक 30.05.2016 को कराया जाना है। मतदान का समय 7:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। पंचायत निर्वाचन 2016 के सफल संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रखंड ग्वालपाड़ा में सेक्टर दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं सुरक्षित दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संलग्न परिशिष्ट 'क', 'ख' एवं 'ग' के अनुसार से की जाती है।

**01. सेक्टर दण्डाधिकारी का दायित्व:-**

- सभी प्रतिनियुक्त सेक्टर दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने आवंटित पंचायत से सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व पहुंचकर यह देख लेंगे कि मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्था हो गई है। अगर किसी प्रकार की कमियाँ हो तो तुरंत निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या- 06476-223901 एवं 223902 तथा प्रखंड नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06479-287248 एवं 287249 पर देंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी का भी दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तुरंत निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को दें। निर्वाची पदाधिकारी सूचना प्राप्त होने पर प्रतिवेदित कमियों का निराकरण तुरंत करना सुनिश्चित करेंगे।
- सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे मतदान की तिथि के एक दिन पूर्व अपने आवंटित पंचायत से सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान पदाधिकारी, पुलिस बल एवं गश्ती दल सह मतपेटिका संग्रह दण्डाधिकारी के पहुंचने के सम्बन्ध में सूचना संग्रह कर सभी प्रकार से आश्वस्त होकर जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या- 06476-223901 एवं 223902 एवं प्रखंड नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06479- 287248 एवं 287249 पर *OK Report* देंगे।
- मतदान के दिन सभी सेक्टर दण्डाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके आवंटित पंचायत से सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान ससमय प्रारंभ हो जाय इसके लिए आवश्यकतानुसार पीठासीन पदाधिकारी को भ्रमणशील रहकर अपेक्षित सहयोग करेंगे। सभी सेक्टर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह व्यक्तिगत जबाबदेही होगी कि किसी भी परिस्थिति में मतदान कार्य बाधित न हों।
- सभी सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी टोला, विशेष कर भेद्य टोले / बस्तियों के मतदाताओं का टर्न आउट असमान्य रूप से कम तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह पता लगाएंगे कि किसी दबंग व्यक्ति या समुह द्वारा मतदाताओं को मतदान से रोका तो नहीं जा रहा है और पता चलने पर तुरंत दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करेंगे ताकि जैसे भेद्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सेक्टर दण्डाधिकारी इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर अपने जोनल दण्डाधिकारी को भी देंगे। जोनल दण्डाधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ऐसे मतदान केन्द्रों / भेद्य टोलों में जाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
- सभी प्रतिनियुक्त सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी वाहनों के परिचालन की नियंत्रित करेंगे तथा जाँच करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा मतदाताओं को गाड़ियों के माध्यम से ढोकर लाया तो नहीं जा रहा है।



- सभी सेक्टर दण्डाधिकारी अपने-अपने आवंटित मतदान केन्द्रों से सम्बन्धित प्रत्येक दो-दो घंटे पर मतदान प्रतिशत जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत नियंत्रण कक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे।
- सेक्टर दण्डाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने आवंटित पंचायत को तब तक नहीं छोड़ें जबतक कि पोल्ड मतपेटिका गश्ती दल सह मतपेटिका संग्रह दण्डाधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के उपरांत बज्रगृह के लिए प्रस्थान नहीं कर गए हों। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
- जिन प्रतिनियुक्त सेक्टर दण्डाधिकारी को विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है उन्हें वाहन (इंधन सहित) निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

#### 02. जोनल दण्डाधिकारी का दायित्व:-

- सभी प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने आवंटित पंचायत से सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर दण्डाधिकारी, गश्तीदल दण्डाधिकारी सह मतपेटिका संग्रह दण्डाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।
- वे अपने जोन से सम्बद्ध सेक्टर दण्डाधिकारी से सूचना संकलित करेंगे कि सभी मतदान कर्मी, गश्ती दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने-अपने आवंटित मतदान केन्द्र पर पहुंच गए हैं तथा मतदान के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां मतदान दल को उपलब्ध हो गया है तथा सही समय पर मतदान कार्य प्रारंभ हो गया है। वे इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से दूरभाष संख्या-06476-223901, 223902 पर देने के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को देंगे।
- जोनल दण्डाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि अगर किसी भी मतदान केन्द्र पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की सूचना उन्हें मिलती है, तो वे तुरंत उस स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे तथा स्थल पर पहुंच विधि व्यवस्था का संधारण कराएंगे तथा जबतक स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक वे वहां स्टैटिक रहेंगे इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी देंगे।
- सम्पूर्ण प्रखंड ग्वालपाड़ा में विधि व्यवस्था के प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज रहेंगे।

#### 03. सुपर जोनल दण्डाधिकारी का दायित्व:-

- सुपर जोनल दण्डाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने अपने आवंटित पंचायत सुपर जोन से सम्बन्धित पंचायत में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण चुनाव कराना सुनिश्चित करें। तथा प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी / सेक्टर दण्डाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु आवश्यक निदेश देंगे। प्रतिनियुक्त सुपर जोनल दण्डाधिकारी सं०-01 अपने आवंटित सुपर जोन के अतिरिक्त सुपर जोन संख्या 02 में भी विधि व्यवस्था संधारण हेतु वरीय प्रभार में रहेंगे।

#### 04. सुरक्षित दण्डाधिकारी :-

- सभी सुरक्षित दण्डाधिकारी दिनांक-30.05.2016 के सुबह 06 बजे प्रखंड कार्यालय, ग्वालपाड़ा में उपस्थित रहेंगे जिसकी प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार की जायेगी।

इसकी सूचना सम्बन्धितों को दी जाय।

ह/0-

पुलिस अधीक्षक

मधेपुरा

ह/0-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)

-सह-

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापक.....107 का०को०/ दिनांक.....28.05.2016

प्रतिलिपि: सभी प्रतिनियुक्त सुपर जोनल दण्डाधिकारी/ जोनल दण्डाधिकारी/ सेक्टर दण्डाधिकारी /सुरक्षित दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता, मधेपुरा/ उपविकास आयुक्त,मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि: प्रेक्षक, प्रखंड ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि: जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग,मधेपुरा/ नोडल पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: निर्वाची पदाधिकारी, -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी,ग्वालपाड़ा /थानाध्यक्ष,ग्वालपाड़ा/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/ ओ०पी० प्रभारी, अरार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

  
पुलिस अधीक्षक  
मधेपुरा

  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)  
-सह-  
जिला दण्डाधिकारी,मधेपुरा।



पुस्तक-व्यापक प्रसंग-व्यापक

पुस्तक-व्यापक (प्रसंग 30.05.2016)

क्र.सं.	विवरण	पुस्तक सं.	प्रकाशक	विवरण	पुस्तक सं.	प्रकाशक	विवरण	पुस्तक सं.	प्रकाशक
1	श्री विजय कुमार का	1	श्री उत्तम हिमवान	श्री रामकवल राम	01/01	मध्य विद्यालय	श्री 30 भाग नया भवन	श्री 30 भाग नया भवन	श्री 30 भाग नया भवन
2	कार्यपालक अभिवृत्त	2	अवलोकिका, उदयपुर	पुस्तिका 0	2	पुस्तिका 0	पुस्तिका 0	पुस्तिका 0	पुस्तिका 0
3	9470001321	3	9006202299	9431075030	3	पुस्तिका 0	पुस्तिका 0	पुस्तिका 0	पुस्तिका 0
4	कार्यपालक	4	अवलोकिका	अवलोकिका	4	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
5	अवलोकिका	5	अवलोकिका	अवलोकिका	5	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
6	अवलोकिका	6	अवलोकिका	अवलोकिका	6	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
7	अवलोकिका	7	अवलोकिका	अवलोकिका	7	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
8	अवलोकिका	8	अवलोकिका	अवलोकिका	8	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
9	अवलोकिका	9	अवलोकिका	अवलोकिका	9	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
10	अवलोकिका	10	अवलोकिका	अवलोकिका	10	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
11	अवलोकिका	11	अवलोकिका	अवलोकिका	11	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
12	अवलोकिका	12	अवलोकिका	अवलोकिका	12	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
13	अवलोकिका	13	अवलोकिका	अवलोकिका	13	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
14	श्री विजय कुमार सिंह	2	श्री अशोक कुमार मंडल	श्री सुजन कुमार	02/14	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
15	अवलोकिका	15	अवलोकिका	अवलोकिका	15	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
16	अवलोकिका	16	अवलोकिका	अवलोकिका	16	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
17	अवलोकिका	17	अवलोकिका	अवलोकिका	17	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
18	अवलोकिका	18	अवलोकिका	अवलोकिका	18	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
19	अवलोकिका	19	अवलोकिका	अवलोकिका	19	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
20	अवलोकिका	20	अवलोकिका	अवलोकिका	20	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका
21	अवलोकिका	21	अवलोकिका	अवलोकिका	21	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका	अवलोकिका

पुस्तक-व्यापक

